

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति ~~खजुरा बैजनाडी के कि.मी. 4 से जामे कर सीला~~ **जैश मेजुली तक**
 (i) राज्य/संघराज्य क्षेत्र :- उत्तराखण्ड **मो. मार्ग के विस्तार**
 (ii) जिला :- टिहरी गढ़वाल
 (iii) जिला वन प्रभाग :- नरेन्द्रनगर
 (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र **आराक्षित वन भूमि / सिविल वन शरी**
 17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति:
 18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:
 (i) वन का प्रकार **मिश्रित**
 (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व **0.1-30**
 (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना :- **संलग्न है।**
 (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए **- कोई नहीं**
 कार्यकरण योजना का नुस्खा
 19. भूधारण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि **- भूवैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न**
 की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण
 20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली **- 600 मीटर पर लगभग**
 प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :
 21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली **- कोई नहीं**
 प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :
 (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के **- कोई नहीं**
 लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :
 (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, **- नहीं**
 हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)
 (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, **- नहीं**
 हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)
 (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी **- नहीं**
 गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)
 (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किरम के खतरे की **- नहीं**
 प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
 22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए **- नहीं**
 राक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
 23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :
 (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। **- न्यूनतम अपरिहार्य**
 (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। **कोई नहीं**

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

- नही

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गद कि सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

नही

नही

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति।
- (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।
- (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सांगीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।

संलग्न है

संलग्न है

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(हां)

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

12.28 752 लाख

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की सुकृतियुक्ताता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है (हां/नहीं)।

हां

26. वनरपति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

हां

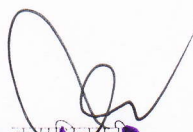
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

वन क्षतिपूरक वनरोपण प्रकरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान:

तारीख:

हरताक्षर नाम भासकीय मुद्रा


सहायक वन अधिकारी
वरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रीति